फैक्स/Fax : 011-25842904
वेबसाइट/Website : www.indiaseeds.com

फोन/Phone : 011- 25842383, 25842672
25846292, 25846295

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–
''मिनी रत्न'' कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली-110012 (भारत)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking-
"Mini Ratna" Company)
Beej Bhawan, Pusa Complex
New Delhi-110012 (INDIA)

An ISO 9001 : 2008 Certified)

IMPORTANT

NO.NSC/6-6/2016-HORT. Dated: 11th May,2017

The Regional Manager,
NSC, Regional Office,
Chandigarh/Lucknow/Jaipur/Bhopal/Patna/Bangaluru/Secunderabad/Pune/Kolkata/Chennai

The Dy. G.M.,
NSC, Central State Farm,
Suratgarh/Sardargarh/ Jetsar/Hisar/Raichur/Nalhati/Baliapur/Sukinda

Subject: Guidelines & policy on Plantation & Maintenance of Farm Forestry and Disposal of Forestry produce.

Sir,

It is felt necessary to adopt uniform procedures and practices on different aspects of planting, maintainenance, disposal and record/inventory keeping of trees as maintained in the forestry in NSC Farms and trees standing in various premises of Regional offices. For this purpose, comprehensive uniform guidelines and policy on plantation, maintenance, inventory as well as Disposal of forestry produce is framed. The comprehensive Guidelines & Policy as approved by NSC Board of Directors in 271st meeting held on 25-3-2017 is enclosed for information and compliance. The Guidelines cum policy covers two main aspects, first is General Guidelines & Policy on plantation, maintenance of trees and Disposal of forestry produce and second is detailed Terms & Conditions along with Tender Notice and Tender Form formats for sale of trees, wood and bushes. You are requested to circulate the same to the officers/offices/Blocks working under your control. It may please be ensured that these approved Guidelines and Terms & conditions are followed mandatorily and complied with immediate effect.

11/05/17

(Kuldeep Singh)
Sr.G.M.(Prodn.)

Enclosed: Guidelines & Policy (22 Pages)

Copy to:

I. Sr.G.M.(F)/Sr.G.M.(HR)/Adl.G.M.(M)/D.G.M.(E)/C.S. /C.V.O. for information and necessary action.
II. D.G.M. (IT) for placing the policy on NSC website.

General Guidelines & Policy on Plantation, Maintenance of Farm Forestry and disposal of Trees, wood and Bushes

A. Plantation:

1. Plantation of tress species should be done in planned phased manner every year to get extra revenue and also to check pollution. For plantation of farm forestry, suitable tree species should be selected in consideration of their economic value, merits and uses viz wood produce value, vigorous growing nature, medicinal / socio economic values, specific and common purposes, beneficial to environment, suitable to agro-climate, soil, survival suitability at plantation sites etc.

2. Trees should be planted as per their suitability to the location in suitable/recommended planting season.

3. The mode of plantation (Block, row or boundary plantation) should be decided as per site and purpose and plant species should be selected accordingly.

4. Plants should be planted and maintained following good package of practices. Plants should be planted in appropriate /recommended size pits enriched with starting dose of fertilizer & manure and treated with insecticide for termite control and at the required space. Plants should be nurtured and maintained with care until they establish their root system properly. During early juvenile years, proper pruning-training operations may be organized as and when required.

5. Nursery should be raised from healthy & vigorous trees having good merits. Collection and plantation of selected improved varieties/clones should be done and superior mother plants should be maintained for raising healthy nursery. The fully grown hardened nursery plants with well-developed root system should be preferred for

plantation. Nursery plants should primarily be procured from NSC farms. In case the required plants are not available at farms or not feasible due to long distances or huge transportation costs, plants may preferably be procured from Forest Department/Government Nurseries.

6. Block plantation should only be considered for degraded or marginal land with plant species having no adverse effect on soil, water, nutrients or environment. Suitable species like neem, shisham, melia, poplar etc. may be considered for block plantation as per suitability, resources, sustainability, cost-benefit prospects, demand-supply wisdom etc. Inter-cropping in such block plantation may be considered wherever possible. In case of block plantation for pole crops (to be harvested from 5 to 7 year), spacing may be reduced so that better output may be received.

7. Plantation of tree species which are not having considerable direct economic value or can be harmful to farm, should be avoided for forestry plantation. For example subabool is good for fodder for local animals but do not produce economic wood. It produces large quantity of seeds every year which usually germinates in large numbers in surrounding area causing weed and bushes menace.

8. Plantation in extremely unsuitable soils or conditions like extremely sandy soil without enough watering resource or marshy soils should be avoided as the chances of survival, maintaining plant population, optimum growth and getting vigorous trees in these conditions is very difficult. Moreover, such plantation may be more prone to insect-pest and disease damage. Excess expenditure and resources will be required to maintain plantation in such extreme conditions.

9. The record of plantation should be maintained properly including, site, period of plantation, specie planted, number of plants planted, location, survival, indicative map, survival details etc. Such record may prove helpful

in case of dispute if arises in future for ownership of trees.

10. After plantation and initial establishment, plants are used to grow on their own in diverse natural conditions. The first survival census should be taken by Field/Chack Incharge after six months and subsequent census should be taken after one year to confirm the survival position at respective site.

11. In general natural conditions prevailing at the large farms of NSC, optimum plantation survival should not be less than 60% in naturally hardy plant species. However, in case of severe conditions or in the event of natural calamities like drought, severe frost, water stagnation, Termite-Insect pest –disease infestation etc. it may be less. In such event reasons of less survival should be recorded and verified by concerned chak incharge and superior officers. Gap-filling should be carried out as per feasibility to maintain good stock.

12. As the juvenile / young plants do not have well grown root system, they are more prone to breaking, uprooting, drying, decaying due to various factors like storms, wild animals, frost, water stagnation, diseases, termite attack, insects etc. The trees below 30cm or 1 ft. girth should not be accounted in annual accounts as per prevailing practices. Once the tree attains girth more than 1ft (one foot), it should be entered and accounted in appropriate girth range group records. However, records shall be maintained for all the trees irrespective of its size.

B. Maintenance, Protection, Inventory and Disposal:

1. Proper protection / Fencing should be arranged around farm/R.O. block plantation/ wood storage area for proper security of trees/produce. It is advised to keep checking perforation / spot damage to such preventive infrastructure and necessary construction & repair work

may be done at vulnerable places time to time as per feasibility and availability of funds.

2. To prevent chances of unauthorized cutting of trees/theft of forest produce, better coordination among Farm Authorities & State Forest Department is recommended in which the authorities should be kept appraised of the plantation as well as sales being executed with due procedural compliance. For this purpose periodic meetings may be arranged by NSC unit Incharge to protect trees of farms.

3. Coordination with Forest department and civil administration should be maintained for security of trees belonging to NSC. Small scale trainings should be organized on different aspects of farm forestry with the help & coordination with Forest department/institutes.

4. Numbering of trees should be done every year with dark Black colour on Yellow colour base for easy identification of trees and should be in sequence. Numbering should be done in a way that it should be above chest height and prominent from some distance, nearby Road / Path / channels etc. Numbering may be done preferably from December to February every year when there may be comparatively less work load on supervisors/officials /workers. However, no damage should be done to the trees during numbering process.

5. Every year, girth of each tree should be measured preferably at chest height and should be placed in relevant girth range in tree inventory records.

6. Subsequent to numbering & girth measurement, physical verification process may also be done every year by a local committee which should also be checked randomly by Officers Committee / Internal Auditors.

7. Proper and up-to-date record keeping and files should be maintained for better monitoring. Shortages / damages should be properly recorded with reasons.

8. Inventory of trees & wood, cutting/felling/ uprooting/ breaking / drying/storing as well as selling/own utilization of standing trees and wood should be

maintained up-to-date. The records should invariably be checked and verified by the Farm /R.O. authorities. The tree inventory should be maintained as per their kind, Girth range and location etc. Similarly, wood inventory should be maintained as per wood kind, grading and weight estimates. The inventory and classification should be finalized preferably by 31st March every year.

9. The trees /wood inventory should be part of Annual Accounts and closing stock inventory should be valued based on state forest department rates or otherwise guidelines issued by Finance Division as and when required so.

10. It would be mandatory to obtain prior permission in writing from Head Office before disposal/cutting of trees for normal sale as well as for developmental work. In case verbal approval is obtained at the site in urgency, it must be got ratified/validated in writing from the Hqrs before cutting trees/conducting disposal of trees. This shall be the responsibility of Farm Director/R.M. that once the farm gets permission for disposal of trees, prescribed disposal process as per financial provisions & GFRs, should be followed. All necessary statutory permissions/ clearance/valuation etc required from all the concerned statutory Authorities should be obtained before starting disposal process. Orders imposed under forestry act or by State Forest Department or Central Government, tribunal, court of law, civil administration time to time must be complied as per provisions. Disposal should be transparent. In case Farm/R.O. could not sell/tender /Auction permitted trees in the period of one year, the trees should again be put on sale after re-assessment of their girth and valuation subsequently. However, Farm/R.O. may organize regular sale of collected wood and Bushes as per availability and need.

11. For disposal of trees / wood, feasibility of e-tendering should be done primarily and if so required physical (normal practice) tendering can be allowed in addition.

12. Mature / fully grown trees having girth 4 ft or as prescribed by forest department for maturity of particular

specie should be considered suitable for disposal. However, lower girth trees may also be considered in following cases with approval of Competent Authority and clearance of local forest department if so required:

I. Tree having lower girth range but situated in the lot which is to be sold and there is apprehensions of subjected lower girth tree may get broken or damaged during felling of surrounding trees.

II. Trees required to be removed for Developmental works viz. construction of Godown / Building / any kind of Infrastructure creation / Irrigation systems / Land Development work etc.

III. Trees hindering in security, road transport / machinery movement / cultivation practices.

IV. Trees remained stunted, weak, having lower girth on attaining maturity age or not considered suitable to retain due to any justified reason as considered by Farm/R.O./H.O. management.

13. Disposal of trees should be done in suitable lots keeping in view of their girth ranges / location/situation. Generally a tree lot may be constituted of about 40 trees but in view of availability or suitable trees at location, lot size may be decided by the farm/RO. If needed the matter may be consulted with State Forest Department or related Agencies. However, sale should be executed strictly as per Terms and Conditions.

14. Before initiating sale process, the trees and lots put on sale should be properly and prominently demarcated so that buyers or any related person /official may confirm /examine the trees without any confusion and subsequent dispute.

15. The plantation area should be maintained clean. As per feasibility, Farms/ units should consider to sell vigorous wild bushes/ bushes type trees that comes up some times in plantation area and fields so that unauthorized entry/pilferage may be avoided/prevented and also fields may be maintained free from wild growth/bushes and unit may get extra income and extra land for cultivation.

16. Wood of broken branches, trunks and uprooted trees due to natural hazards are required to be stored in more appropriate manner and simultaneous disposal. In this regards following aspects should be followed:

   i. Collection of wood of broken branches, trunks and uprooted/damaged/ dried trees should be done from field as soon as such incidences occur. Such wood should not be left in field for long time as it may lead to decay, termite & other insect infestation and also posing security threats.

   ii. Wood should be properly collected and stored in proper storage conditions to maintain its quality and economic value for longer storage period. As per feasibility and volume of wood materials, it should be stored in lots as per wood grades /category / condition for proper care and early disposal. As far as possible, wood should be well categorized as per buyer's preferences / uses / industrial requirement etc. to store in lots for sale purpose.

   iii. Every year before closing, total stored/ piled up wood / wood lots should be re-graded / sorted up keeping in view physical state of quality-quantity and wood condition, but it may be kept in mind that there should not be considerable impact on inventory valuation. This may facilitate early disposal and may help in avoiding piling up unsold quantities.

   iv. Farm should make all efforts to liquidate stored wood through frequent sale efforts. However, winter season may be favorable for disposal and higher income realization. Farm/R.O. should try early disposal of available wood to the maximum extent so that deterioration may be avoided.

   v. Wood should be put to sale in graded lots as per their category on weight basis. Contractor / Buyer should not be allowed to pick & choose wood or left wood in a particular lot purchased by him. Buyer has to lift entire wood of sold lot from one side without pick & choose intention.

vi. Wood is also source of income and if proper attention is given it may also be one of the resources of better viability and sustainability.

vii. Every effort should be made for early disposal of collected/ available wood to avoid quality and quantity deterioration. The disposal of available wood should be done by following laid down procedures and GFR rules.

viii. Proper records/accounting should be maintained from collection till its disposal.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम - मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 011- 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
FAX:25846462,25842904 e-mail – nsc@indiaseeds.com

राष्ट्रीय बीज निगम लि॰

फार्म / प्रक्षेत्र कार्यालय: ____________________.

____________________ ____________
____________________ ____________

क्रमांक संख्या ____________________. दिनांक : __________.

निविदा-सह-नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम के फार्म/क्षेत्रीय कार्यालय ____________________ जिला__________ के अधिकार में प्रक्षेत्र वानिकी के अंतर्गत निम्न लिखित पेड़ो/वृक्षों / झड़ियो/ एकत्रित लकड़ी को विभिन्न लॉट में निविदा-सह-नीलामी नियम के अनुसार विक्रय करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित हैं।

लॉट नं॰	खड़े पेड़ो / लकड़ी का विवरण / प्रकार / श्रेणी	खड़े पेड़ों की संख्या / लकड़ी का अनुमानित वज़न (कु॰) / झाड़ियों का क्षेत्रफल

निविदा मूल्य प्रस्ताव (Tender Offer) प्रति वृक्ष लॉट या लकड़ी-झाड़ी हेतु श्रेणी /लॉट में प्रति कुंतल की दर से भरने होंगे।

निविदाएं दिनांक ________ तक _______बजे तक स्वीकार की जाएगी। जो कि दिनांक ______ पर ______ बजे अथवा खुली बोली नीलामी प्रक्रिया के पश्चात खोली जाएँगी। इच्छुक योग्य क्रेता/समूह /फर्म आदि निविदा-सह-नीलामी मे भाग लेने हेतु आमंत्रित हैं।

Kiran

खड़े पेड़ों का विवरण एवं गर्थ / लकड़ी की श्रेणी का विवरण तथा विक्रय के नियम व शर्तों का विवरण तथा निविदा प्रपत्र (टेंडर फार्म) किसी भी कार्यदिवस मे रु.200/- **देकर** फार्म कार्यालय से दिनांक ____ समय ____ तक किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र विभागीय वैबसाइट www.indiaseeds.com से भी लिया जा सकता है परन्तु *डाउनलोड प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क रु. 200/-का बैंक ड्राफ्ट / बैंक ट्रान्सफर* रसीद लगाकर जमा करना होगा। प्रत्येक लॉट के ठेके के लिए उपरोक्त वर्णित निश्चित धरोहर राशी का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,________, के नाम देय हो निविदा के साथ संलग्न करना होगा। नीलामी की खुली बोली मे भाग लेने के लिए नीलामी से पूर्व निश्चित धरोहर राशी का डिमांड ड्राफ्ट / बैंक ट्रान्सफर रसीद, फार्म पर नियम व शर्तों के अनुसार पैन **कार्ड** पहचान पत्र, अन्य आवश्यक सबूतों आदि की प्रतिलिपि सहित जमा करना होगा। निविदा / नीलामी के **समय** पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे।

फार्म प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम_______________)

पूर्ण पता

....

वि.तोमर.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम - मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 011- 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
FAX:25846462,25842904 e-mail – nsc@indiaseeds.com

राष्ट्रीय बीज निगम लि॰

फार्म / प्रक्षेत्र कार्यालय: ___ ________.

________________ ________.

निविदा प्रपत्र

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक: ________________ दिनांक ________.

निविदा भेजने हेतु पता: उप महाप्रबन्धक (फार्म), केंद्रीय राज्य फार्म,/ क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय ________________ ________.

.________________।

निविदा खोलने की दिनांक: ________ समय: ________ स्थान: ________.

विषय: राष्ट्रीय बीज निगम के फार्म/क्षेत्रीय कार्यालय ________________ जिला________ के अधिकार में प्रक्षेत्र वानिकी के अंतर्गत उपरोक्त निविदा विज्ञप्ति मे संदर्भित निम्न लिखित पेड़ो/वृक्षों / झड़ियो/ एकत्रित लकड़ी को विभिन्न लॉट के अंतर्गत "जैसा है जहाँ है" के आधार बेचने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदा दाता का नाम : ________________________________।
2. पिता / पति का नाम : ________________________________।
3. पूरा पता: ________________________________
   ______ ________________________________
4. दूरभाष नंबर________________ मोबाइल फोन नं ________________
5. पैन नं ________________ (स्वयम सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. पहचान पत्र नं (वोटर आइ॰डी॰, आधार कार्ड आदि)________________(स्वयम सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. निविदा शुल्क (रु॰200/-): रसीद सं________दिनांक________अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट सं ________________दिनांक________ जारी कर्ता बैंक________ शाखा ________ (ड्राफ्ट संलग्न)

वि.ता.प्र.

निविदा राशी प्रस्ताव (टेंडर ऑफर):

राष्ट्रीय बीज निगम के फार्म/क्षेत्रीय कार्यालय ____________ ___________ जिला___________ के अधिकार में प्रक्षेत्र वानिकी के अंतर्गत विभिन्न लॉट में खड़े वृक्षों/पेड़ो / झाड़ियों / लकड़ी खरीदने हेतु लॉट के अनुसार निविदा मूल्य प्रस्ताव निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।:

लॉट नं०	खड़े पेड़ो / लकड़ी का विवरण / प्रकार / श्रेणी	खड़े पेड़ों की संख्या / लकड़ी का अनुमानित वज़न (कु०) / झाड़ियों का क्षेत्रफल	ठेका अनुसार निविदा मूल्य प्रस्ताव (Tender Offer) प्रति वृक्ष लॉट या (लकड़ी-झाड़ी हेतु प्रति कुंतल के दर से) (रुपया अंकों व शब्दों में)
			रु _____(शब्दों में ______________________)

धरोहर राशी का विवरण :

निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गये / किये जाने वाली धरोहर राशी का विवरण:

लॉट नं०	बैंक ड्राफ्ट / बैंक ट्रान्सफर का विवरण एवं दिनांक	जारी करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा का पता / एकाउंट न०, ईएफ़सी कोड आदि	धरोहर राशी (रु०)

(उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंक ट्रान्सफर रसीद संलग्न किये जायें)

सत्यापन एवं घोषणा:

यह सत्यापित किया जाता है कि:

1. निविदा या नीलामी में भाग लेने से पूर्व निविदा / बोली दाता ने वृक्षों की संख्या, गिर्थ विवरण, वृक्ष लकड़ी की गुणवत्ता तथा स्थान आदि को भौतिक रूप से भली भाँति जाँच परख लिया गया है तथा विवरण हस्ताक्षर कर संलग्न किया गया है।

कि. तोमर

2. इस निविदा-नीलामी के अंतर्गत वृक्षों, लकड़ी अथवा झाड़ियों के विक्रय से संबंधित सभी प्रकार के शासकीय एवं संवैधानिक परोक्ष अपरोक्ष कर, चुँगी, नगरपालिका, मंडी, वन विभाग, पारगमन परमिट (T.P.) तथा अन्य किसी भी प्रकार के टैक्स, सेस, शुल्क, प्रभार आदि का भुगतान क्रेता / ठेकेदार को निविदा-नीलामी राशि के अतिरिक्त स्वयं वहन करना होगा।
3. यह प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि उपरोक्त निविदा की सभी शर्तें पढ़ व समझ ली हैं। मुझे / हमें सभी शर्तें मान्य हैं।
4. निविदा पूर्ण रूप से स्पष्ट शब्दों / अंकों में भरी होनी चाहिये, प्रत्येक त्रुटि सुधार पर पूरे हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। अपठनीय, अस्पष्ट अथवा अपूर्ण निविदा **पर** विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा, संलग्न प्रपत्रों तथा विक्रय शर्तों कि प्रतिलिपि **के** प्रत्येक पृष्ठ पर पूर्ण सहमति के साथ हस्ताक्षर कर संलग्न किया गया है।

निविदा प्रस्तुत है।

निविदा दाता के हस्ताक्षर

(नाम_______________)

पूर्ण पता

संलग्न दस्तावेज :

1.

2.

3.

4.

(प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक हैं)

राष्ट्रीय बीज निगम लि.

फार्म / प्रक्षेत्र कार्यालय: ______________________.

फार्म में विभिन्न प्रजातियों के खड़े वृक्षों / जंगली झाड़ियों / एकत्रित लकड़ी बेचने के लिए निविदा-सह-नीलामी हेतु नियम व शर्तें

1. राष्ट्रीय बीज निगम के ______________ फार्म/क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार में खड़े वृक्षों / एकत्रित लकड़ी के विक्रय हेतु निविदा/नीलामी सूचना __________ के अनुसार निश्चित संख्या लाट में खड़े वृक्षो / अनुमानित लकड़ी वज़न लाट को विक्रय किया जाना निश्चित किया गया है।
2. विक्रय किए जाने वाले वृक्षों / एकत्रित लकड़ी की बिक्री निविदा या नीलामी अथवा निविदा सह नीलामी द्वारा “जैसा है जो है जहाँ है” के आधार पर की जाएगी। इसके प्रयोजनार्थ वृक्षों / लकड़ी की बिक्री के नियम एवं शर्ते निविदा/बोलीदाता ने भालिभांति जान-समझ ली हैं तथा उसे स्वीकार हैं।
3. निविदा या नीलामी में भाग लेने से पूर्व निविदा /बोली दाता द्वारा वृक्षों / लकड़ी की गुणवत्ता संख्या तथा स्थान आदि को भौतिक रूप से भली भाँति जाँच परख लिया गया है। वृक्षों / लकड़ी की बिक्री के पश्चात इस संबंध में क्रेता को किसी भी प्रकार की शिकायत या विवाद का अधिकार नहीं होगा।
4. टेन्डर/ नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्रेता की पहचान तथा अन्य जानकारी के प्रयोजनार्थ कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, डाइविंग लाईसेन्स, खेत का खसरा-खतोनी तथा पैन कार्ड इत्यादि प्रस्तुत करना होगा। यदि बोली दाता/ ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त दस्तावेज़ साझेदारों से सम्बन्धित हों। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत कम्पनी है तो उसे टेंडर/नीलामी में भाग लेने हेतु कम्पनी द्वारा जारी

क्रेता

अधिकार पत्र, कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, वित्तीय स्थिति, व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची तथा उक्त वर्णित में से कोई दो पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा। निविदा/बोलीदाता द्वारा अपने पहचान-पत्र, पैनकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों की छाया प्रति स्वयं सत्यापित कर निविदा के साथ संलग्न / नीलामी के समय जमा करनी होगी। किसी भी प्रकार के अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण पते के कारण अथवा डाक विभाग द्वारा हुई देरी/त्रुटि से यदि कोई पत्र / सूचना निविदा/बोली दाता के पास उचित समय में नहीं पहुँचती है तो फार्म किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

5. फार्म प्राधिकारी, को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना पूर्व सूचना या नोटिस दिये, निविदा अथवा बोली को अस्वीकृत अथवा निरस्त कर दें। इस विषय में फार्म प्राधिकारी किसी प्रकार से कारण सूचित करने को बाध्य नहीं होगा।

6. कोई भी व्यक्ति/संस्था जिसे राष्ट्रीय बीज निगम के किसी भी कार्यालय / फार्म द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया हो, जिस पर निगम की बकाया धनराशि देनदारी हो, जिसे न्यायालय द्वारा अपराधी या शासन द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो, अवयस्क हो या किसी भी प्रकार से निविदा / नीलामी के कार्य के अयोग्य हो। ऐसा व्यक्ति अथवा संस्था निविदा अथवा नीलामी में किसी भी प्रकार की जानकारी छुपा कर भाग लेता है तो फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि किसी भी स्तर पर ठेका निरस्त कर दे ऐसी स्थिति में जमा धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि स्वत: जब्त हो जाएगी तथा शर्त संख्या 39 के अनुसार भी जमा धनराशि समायोजित की जाएगी।

7. प्रत्येक बोली दाता को बोली/टेन्डर में भाग लेने से पहले सम्मिलित होने के लिए फार्म द्वारा निश्चित की गई धरोहर राशि **(** ईएमडी**)** निश्चित प्रपत्र में व ठेके की शर्तो की स्वीकृति के साथ पूरे हस्ताक्षर सहित**,** डिमांड ड्राफ्ट / बैंक ट्रांसफर द्वारा जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, ________________ के नाम देय हो / एकाउंट नं ________ बैंक_______ शाखा_______ ईएफ़सी कोड ______ फार्म के खजांची के पास अथवा फार्म के अकाउंट में जमा करनी होगी**,** वृक्षों/लकडी की बोली यदि लाट के हिसाब से अलग-अलग की जाती है तो प्रत्येक लाट की बोली हेतु निम्नलिखित धरोहर राशि अलग-अलग जमा करनी होगी।

a. प्रथम /पहले लाट हेतु धरोहर राशि : रु **20,000/-**

b. प्रथम लाट के साथ अन्य प्रति लाट हेतु धरोहर राशि: रु **10,000/-**

8. धरोहर राशि के लिए चैक या लिफाफे मे रखी गयी नगद राशि मान्य नही होगी साथ ही यदि धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक ट्रांसफर निश्चित राशी

से कम जमा कराया जाता है तो उस निविदा को निरस्त किया जा सकता है। असफल निवदा / बोलीदाता को धरोहर राशि फार्म के खाते में जमा होने के बाद दो कार्यदिवस में चैक द्वारा अथवा बैंक ट्रान्सफर के माध्यम से अदा कर दी जाएगी।

9. निविदा दाता को निविदा जमा करने के पश्चात उसे वापस लेने या दरों मे संशोधन करने का अधिकार नही होगा।

10. निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एंव फैक्स व पत्र/ईमेल / अनुशंषा / अवांछित दबाव मान्य नहीं होगा।

11. सफल निविदा/बोली दाता को निविदा राशि का 10% की दर से प्रतिभूति राशि भी 3 दिवस मे जमा करनी होगी

12. सफल निविदादाता / बोलीदाता को बोली समाप्त होते ही स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत धन राशि उसी समय अथवा अधिकतम 3 दिवस के अंदर जमा करना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि विक्रय स्वीकृति पत्र जारी होने के 10 दिवस के अंदर जमा करनी होगी। बकाया राशि/ राशियों को जमा करने में विलम्भ होने पर अधिकतम 15 अतिरिक्त दिवस के अंदर 18% वार्षिक की दर से ब्याज सहित पूर्ण राशि फार्म प्राधिकारी की स्वीकृति ले कर जमा करनी होगी।

13. प्रतिभूति तथा प्रारम्भिक 25% राशि जमा करने हेतु समान्यत: कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यदि शेष संपूर्ण देय राशि अतिरिक्त 15 दिवस बढ़ाई गई समय सीमा में भी जमा नहीं की जाती है तो उस दशा मे क्रेता द्वारा जमा की गई राशि से धरोहर एवं प्रतिभूति राशि फार्म द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा शेष धन राशि बिना ब्याज क्रेता को अदा की जायेगी इस स्थिति में ठेका स्वत: रद्द हो जायेगा। जिसके लिए क्रेता को किसी प्रकार की सूचना या नोटिस देय नहीं होगा। इस स्थिति मे संबंधित वृक्षो / लकड़ी के संबंधित लाट / लाटों को दोबारा विक्रय करने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा।

14. क्रेता द्वारा ठेके की सम्पूर्ण राशि फार्म को अदा करने पर ही फार्म प्राधिकारी द्वारा वृक्षों की कटाई-पातन / लकड़ी की ढुलाई का स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।

15. वृक्षों के पातन-कटाई / लकड़ी की ढुलाई हेतु स्वीकृति आदेश जारी होने के दिन से 90 दिवस समय सीमा *(एकत्रित लकड़ी की बिक्री हेतु 60 दिवस)* के भीतर सभी वृक्षों की कटाई कर फार्म से ले जाना होगा। ज्यों ही वृक्षों की कटाई या लकडी के उठाने का अधिकृत समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का वृक्षों या लकडी पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। वृक्षों / लकड़ी की कटाई अथवा ढुलाई में

अनावश्यक देरी की अनुमति फार्म प्रशासन द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी। तथापि क्रेता द्वारा उचित कारण पर अनुरोध करने पर 90 दिवस के उपरान्त निम्न लिखित दर से भूमि कर (Ground Rent) चुका कर शेष पेड़ / लकड़ी काटने-उठाने हेतु अतिरिक्त समय सीमा फार्म प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है:

i. <u>प्रथम अतिरिक्त 30 दिवस</u> रु 5/- प्रति वृक्ष प्रति दिवस की दर से। *(लकड़ी विक्रय ठेका: रु.2/- प्रति कुंतल प्रति दिवस लकड़ी उठाने -लेजाने हेतु)*

ii. <u>द्वितीय अतिरिक्त 60 दिवस</u> रु 10/- प्रति वृक्ष प्रति दिवस की दर से। *(लकड़ी विक्रय ठेका - द्वितीय अतिरिक्त 30 दिवस: रु.5/- प्रति कुंतल प्रति दिवस 30 दिवस मे लकड़ी उठाने-लेजाने हेतु)*

(जंगली झाड़ियों जैसे जुलिफ्लोरा के विक्रय हेतु झाड़ियों का प्रकार, सघनता, फैलाव आ स्थिति को ध्यान में रखते हुए फार्म समिति समय सीमा का निर्धारण निर्णय ले)

16. यदि क्रेता प्राधिकृत समय सीमा तथा अतिरिक्त प्रावधानिक समय सीमा के बाद भी विक्रय किये गये सभी वृक्ष / लकड़ी लाट को किसी भी कारण से नहीं ले जाता है तो उस दशा मे <u>शर्त संख्या 39</u> के अनुसार क्रेता द्वारा जमा धन राशि को फार्म द्वारा जब्त कर लिये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।
17. क्रेता को विक्रय किए गए वृक्ष / झाड़ी / लकड़ी लॉट को एक ओर से काटना / उठाना होगा तथा चुन कर/छांट कर काटने-उठाने का अधिकार क्रेता को नहीं होगा।
18. क्रेता पूर्ण जानकारी के बाद ही मात्र खरीदे गये लॉट के पेड़ों की कटाई / लकड़ी की उठाई करेगा। यदि जानबूझ कर या अनजाने में कोई अन्य पेड़ काट लिया जाता है या कोई अन्य लकड़ी ले जाने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी द्वारा नियत पेड़ की पूरी कीमत के साथ जुर्माना भी अदा करना होगा जो कि पेड़/लकड़ी की कीमत से दो गुना होगा। यदि क्रेता या उसके कार्यकर्ता बार-बार ऐसा करते है तो फार्म को पूर्ण अधिकार होगा कि पूर्ण कीमत और जुर्माना वसूल कर ठेका निरस्त कर दे तथा <u>शर्त संख्या 31 एवं 39</u> के अनुसार भी कार्यवाही की जा सकती है।
19. यदि फार्म जंगली बबूल/जुलिफ्लोरा की झाड़ियों की नीलामी करता है तो क्रेता अधिकृत निश्चित स्थान से एक ओर से 6” गर्थ (मोटाई) तक की झाड़ी लकड़ी काट कर व तौल ले जा सकता है। यदि वह अधिक मोटाई वाले वृक्ष काटता है तो शर्त संख्या 18 के अनुसार कार्यवाही मान्य होगी।
20. यदि फार्म द्वारा निकट के खेतो मे खड़ी फसलों को वृक्षो के पातन-कटाई से होने वाली हानि, जलभराव की स्थिति अथवा किसी अन्य कारण से फार्म के हित को ध्यान मे रखते हुए यदि वृक्षो के पातन-कटाई का कार्य रोका जाता है

तो क्रेता को कार्य रोके जाने वाली समय अवधि के बराबर अतिरिक्त समय बिना भूमि कर वसूल किये दिया जायेगा।

21. यदि किसी प्रशासनिक बाध्यता/शासकीय आदेश/ न्यायालय आदेश के अनुसार ठेका स्थगित या निरस्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विक्रय मे से शेष बचे वृक्षों/लकड़ी के एवज मे फार्म द्वारा आकलित कीमत क्रेता को बिना ब्याज वापस की जा सकती है।

22. ठेका समाप्त होने पर सम्बंधित अधिकारी की संस्तुति पर कि क्रेता अथवा उसके कार्यकर्ता के कार्य कलापों से फार्म को किसी प्रकार की परोक्ष - अपरोक्ष हानि नहीं हुई है तथा कार्य शर्तों के अनुरूप पूरा किया गया है, सफल निविदा/बोली दाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी। ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पति तथा फसलों को नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा फार्म प्राधिकारी को उसका ठेका रद्द करने का भी अधिकार होगा।

23. सफल निविदा/बोली दाता द्वारा ठेका किसी अन्य ठेकेदार को हस्तांतरित नही किया जायेगा। इसकि अवहेलना करने पर ठेका रद्द माना जायेगा तथा जमा की गई धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि को जब्त करने के साथ शर्त संख्या 31 एवं 39 के अनुसार कार्यवाही का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा।

24. विक्रय किए गए वृक्षों को काटने / लकड़ी को उठाने-लेजाने हेतु ठेकेदार द्वारा जो आदमी लगाये जाएंगे उनकी सूची पते सहित फार्म प्राधिकारी को देनी होगी। फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि बिना कारण सूचित किये किसी भी अवांछित व्यक्ति का फार्म में प्रवेश वर्जित कर दे तथा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करे।

25. खड़े वृक्षों की बिक्री पूरे लॉट / वृक्ष संख्या के अनुसार तथा लकड़ी की बिक्री लॉट में वज़न / तौल के आधार पर होगी।

26. लकड़ी काटने, ट्रांसिट परमिट की व्यवस्था तथा लकड़ी ढुलाई के लिए परिवहन आदि का प्रबन्ध ठेकेदार को स्वयं अपने खर्च पर करना होगा।

27. ठेकेदार को राज्य एवं केंद्र सरकार के वन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी तथा निविदा दाता शासन संबंधित वन अधिनियम तथा समय-समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत बनायी गई सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/औपचारिकता आवश्यक होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बन्ध में

अपने ख़र्चे पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा । उल्लंघन की दशा में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

ठेकेदार/क्रेता निगम के पक्ष में एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड (इंडेमनिटी बाण्ड) इस आशय के साथ देगा कि उसके द्वारा केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना, नियम अथवा वन सम्बन्धी कानून की पूर्ण रूप से पालना की जाएगी तथा किसी भी प्रकार से उल्लंघन हेतु वह पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा उसके द्वारा नियम एवं कानून की किसी प्रकार के उन देखी या उल्लंघन की दशा में निगम किसी भी प्रकार से जवाबदेह नहीं होगा एवं यदि किसी भी प्रकरण में ठेकेदार के कृत्य हेतु राष्ट्रीय बीज निगम को किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा जवाबदेह बनाया जाता है तो उस दशा में सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति के साथ न्यायालय एवं अन्य सम्बंधित खर्चे ठेकेदार को वहन करने होंगे।

28. यदि कोई व्यक्ति खरीददार की जानकारी के बिना नीलाम वृक्ष/लकडी काटते हुए/पाया गया तो खरीददार उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है । यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अथवा अधिकारी हो तो इसकी सूचना फार्म के निदेशक को विभागीय कार्यवाही हेतु देगा ।
29. वृक्षों व लकडी की निवदा-नीलामी/बिक्री " जैसा है जो है जहॉ है " आधार पर की जाएगी बिक्री किए गये पेड़ों व लकड़ी को किसी भी कारण से हुए नुकसान के लिये बोली के बाद फार्म जिम्मेदार नहीं होगा । नीलामी स्वीकृति के बाद यदि किसी कारणवश जैसे पेडों का उखाड़ना, सूखना, आग लगना, आँधी-तूफान, बिजली, बीमारी, दीमक-कीड़ों, चोरी आदि (प्राकृतिक/अप्राकृतिक) से कोई हानि ठेकेदार को होती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा । बोली दाता ही स्वयं उक्त हानि को वहन करेगा ।
30. ठेकेदार या उसके कार्यकर्ता द्वारा फार्म मे अन्यत्र असम्बंधित गतिविधियॉ, कार्यकलापों मे रुकावट/व्यवधान/हस्तक्षेप, आग जलना, मवेशी पालन, कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग आदि समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से सम्बंधित न हो उनमे परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नही होगा। ऐसी गतिविधियों मे संलिप्त पाये जाने, अथवा यदि फार्म की संपत्ति को कोई हानि होती है अथवा फार्म के कर्मचारियों/अधिकारियों से विवाद होता है तो इस के लिए परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से ठेकेदार जिम्मेदार होगा। इस दशा में की गई हानि का आर्थिक अथवा वैधानिक/न्यायिक हर्जाना / कार्यवाही ठेकेदार पर बाध्यकारी होगी। किसी भी

विठ्ठलोगर

प्रकार की हानि की कीमत फार्म निदेशक द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा। उसका ठेका निरस्त कर उसका फार्म मे प्रवेश निषिद्व किया जा सकता है तथा इस दशा मे उसकी जमा राशियां जब्त कर ली जायेंगी।

31. यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित मे न हो तथा उसे बार बार चेतावनी देने पर भी वह ठेके की शर्तों का पालन न करता हो तब एसी दशा मे फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा की ठेके को शर्त सं 39 के अनुसार निरस्त/रद्द कर ठेकेदार को निश्चित अवधी के लिए निगम के फार्मों / क्षेत्रीय कार्यालयों पर ठेके लेने के अयोग्य घोषित कर दे। विवाद, झगड़ा या मतभेद के मामले में फार्म प्राधिकारी / सक्षम अधिकारी का निर्णय क्रेता / ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

32. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म मे किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरो को मारने, घायल करने या परेशान करने का कार्य निषिद्ध है। ऐसा करने पर वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होंगे।

33. ठेकेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी भी कृषि कार्य / कार्यो पर आपत्ति करे साथ ही उसे यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यो को निर्धारित समय से पूर्व अथवा बाद में करने के लिए फार्म पर अवांछित दबाव डालने या बाध्य करने की कोशिश करे ।

34. इस अनुबन्ध के अंतर्गत वृक्षों, लकड़ी अथवा झाड़ियों के विक्रय से संबंधित सभी प्रकार के शासकीय एवं संवैधानिक परोक्ष अपरोक्ष कर, चुँगी, नगरपालिका, मंडी, वन विभाग, पारगमन परमिट (T.P.) तथा अन्य किसी भी प्रकार के टैक्स, सेस, शुल्क, प्रभार आदि का भुगतान क्रेता / ठेकेदार को निविदा-नीलामी राशि के अतिरिक्त स्वयं वहन करना होगा ।

35. नीलामी के उपरान्त ठेकेदार/खरीददार वृक्षों की सुरक्षा कटाई, पैकिगं, ढुलाई आदि समस्त कार्य अपने जोखिम व खर्चे पर करेगा.

36. पारगमन परमिट क्रेता द्वारा स्वयं ही अपने खर्च पर प्राप्त करना होगा।

37. वृक्षों को जड सहित काटना होगा। जड़ एवं लकडी ले जानी होगी। जड़ उखाड़ने से हुए गड्ढे को भरना होगा।*(आवश्यकता / प्रावधान अनुसार)* ठेकेदार/क्रेता द्वारा अवहेलना की दशा में वृक्ष की औसत कीमत की 20% के बराबर की धन राशि धरोहर एवं प्रतिभूति राशि में से जब्त कर ली जाएगी।

38. पेड़ों के पातान-कटाई से सड़क अवरूद्ध नहीं होनी चाहिये एवं वाहनों - मशीनों का आवागमन प्रभावित नहीं होना चाहिये। पेड़ों के पातान, कटाई अथवा सडक रास्ते लकड़ी ले जाने पर फसल में नुकसान नहीं होना चाहिए।

39. इसं निविदा - नीलामी सौदे के अंतर्गत नियत किसी भी नियम एवं शर्त की खरीददार उसके प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता द्वारा परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अवहेलना करने पर फार्म प्राधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा की वह ठेका तत्काल प्रभाव से रद्द/समाप्त कर दे तथा काटे गए वृक्षों / उठाई-ढुलाई की गई लकड़ी की फार्म प्राधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निश्चित की गई धन राशि, प्रावधानिक भूमिकर तथा ठेके के अंतर्गत क्रेता द्वारा फार्म मे जमा की गई धरोहर एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ले।

40. वृक्षों /लकडी को फार्म से बाहर ले जाने के लिए दिवस समय सीमा का निर्धारण फार्म प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होगा। साधारणत: यह अनुमति कार्य दिवस में प्रात 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक होगी। कटे वृक्ष अथवा लकडी फार्म से बाहर ले जाने के लिए गेट पास आवश्यक होगा।

41. ठेकेदार फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफे आदि देने की कोशिश् नही करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, डराने या नुकसान पहुचाने की कोशिश् नहीं करेगा । इस मामले में उसका ठेका रद्द किया जा सकता है साथ ही उसकी धरोहर राशि एवम प्रतिभूति राशी जब्त करने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा साथ ही उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

42. इस सौदे के लिए रू॰ 100/- (एक सौ) के स्टाम्प पेपर पर ठेकेदार द्वारा ठेके के अंतर्गत विक्रय किए गए पेड़ो / लकड़ी का विवरण तथा सौदे के नियम व शर्तो पर करार (Agreement) तथा रू॰ 100/- (एक सौ) के स्टाम्प पेपर पर शर्त संख्या 27 के अनुसार क्षतिपूर्ति बॉन्ड (Indemnity Bond) पर दो गवाहों की उपस्थिति में फार्म के साथ अनुबंध करना आवश्यक होगा। स्टाम्प पेपर का प्रबन्ध ठेकेदार को स्वयं करना होगा। उपरोक्त दोनों अनुबंध ठेका स्वीकृत होने के 7 कार्यदिवस के अन्दर करने होंगे।

43. यदि उपरोक्त अनुबंध/करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। विवाद के न सुलझनें की स्थिति में, इस करार से सम्बंधित पक्षकार के आवेदन पर, सम्बंधित विवाद को समय-समय पर संशोधित माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration & Conciliation Act,1996)के प्रावधानों के अनुसार, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा नियुक्त एकल मध्यस्थ (Sole Arbitrator) द्वारा निपटान किया जाएगा जो पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। पक्षकार विवाद की स्थिति में विवाद का निपटारा न्यायालय जाने से पूर्व आर्बिटेशन के माध्यम से करेंगे।

कृ.सागर

44. आर्बिटटेशन एंड कानसिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो न्याय हेतु ____________ न्यायालय क्षेत्र ही मान्य होगा।

<u>घोषणा</u> :- मैंने फार्म में खड़े पेड़ों / वृक्षों/ झाड़ियों/ एकत्रित लकड़ी खरीदने हेतु निविदा-सह-नीलामी की शर्तें पढ ली हैं। उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य हैं तथा हस्ताक्षर मैंने अपनी रजामंदी से, बिना किसी दबाव के पूर्ण होशो-हवाश में किये है। मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गयी हैं तथा ये नियम तथा शर्तें राष्ट्रीय बीज निगम के केंद्रीय राज्य फार्म/क्षेत्रीय कार्यालय ________ ________के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबंध का अभिन्न अंग / भाग मानी जायेंगी।

(निविदा/बोली दाता के हस्ताक्षर)

दिनांक ________________

स्थान __________

(प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा / बोलीदाता के हस्ताक्षर आ श्यक हैं।)